

कार्यालय नगर पालिका परिषद, पाली जिला उमरिया (म.प्र.)

क्रमांक/391/न.पा./2021

पाली दिनांक 24/03/21

प्रति,

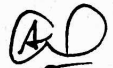
श्रीमान कलेक्टर महोदय,
जिला उमरिया,
मध्य प्रदेश।

विषय—मुख्यमंत्री शहरी विकास अंधोसंरचना विकास द्वितीय चरण योजनांतर्गत उमरिया जिले में वार्ड नं. 01 एवं 04 में पूर्व से निर्मित वनमार्ग में पाली-बन्नौदा वनमार्ग में सी.सी. सड़क निर्माण हेतु वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण पत्र प्रदान करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मुख्यमंत्री शहरी विकास अंधोसंरचना विकास द्वितीय चरण योजनांतर्गत उमरिया जिले में वार्ड नं. 01 एवं 04 में पूर्व से निर्मित वनमार्ग में पाली-बन्नौदा वनमार्ग कक्ष क्रमांक आर.-575 में कुल 1300 मीटर लंबाई एवं 7 मीटर चौड़ाई में सी.सी. सड़क निर्माण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसे हेतु 0.91 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो रही है।

अतः अनुरोध है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कलेक्टर का प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें।


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
~~नगर~~ पालिका परिषद, पाली
जिला उमरिया (म.प्र.)